



Neutral Citation No. 2026:AHC:19954

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 345 / 2026

मुलायम और अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 17 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

ब्रजेश कुमार सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी मुख्य स्थाई

अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता गण के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजेश कुमार सिंह राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार यादव और प्रत्यर्थीभूमि प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी की दलीलें सुनी गईं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"परमादेश रिट की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को निर्देश दिया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या 4137/2025 (महावीर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) का निर्णय निर्धारित समय सीमा के भीतर करे।"

3. याचिकाकर्ता गण के अधिवक्ता ने कहा कि निजी प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत दायर किया गया पुनरीक्षण जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत की गई कार्यवाही से उत्पन्न हुआ है 29.8.2025 से प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे लंबित कार्यवाही की आदेशपत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत की ताकि यह दर्शाया जा सके कि मामले की सुनवाई तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपर्युक्त कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष तक जितनी जल्दी हो सके अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद निपटाए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

29 जनवरी 2026

सी. प्रकाश

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"